::: प्रेस विज्ञप्ति / सार्वजनिक सूचना :::

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, द्वारा जारी शासनादेश संख्या–259 / XXVIII–1 / 01 (12) 2021 दिनॉक–21 फरवरी 2021 से उत्तराखण्ड की भीषण दैवीय आपदा में लापता व्यक्तियों के मृत्यु पंजीकरण के सम्बन्ध में भारत के उप–महा रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु के पत्र संख्याः–1 / 2 (उत्तराखण्ड) / 2011–बी0एस0सी0आर0एस0 दिनॉक–21.02.2021 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार उत्तराखण्ड़ के जनपद चमोली में दिनॉक–07 फरवरी 2021 को आयी भीषण दैवीय आपदा में लापता व्यक्तियों हेतु मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम–1969 की धारा–7 (2) के परन्तुक के अनुसार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र उस स्थान पर निर्गत किया जाता है, जहॉ पर जन्म एवं मृत्यु की घटना घटित हुयी हो, साधारणतः मृत्यु का पंजीकरण उक्त अधिनियम की धारा–8 में वर्णित व्यक्तियों की आख्या के आधार किया जाता है, परन्तु अपवाद स्वरूप किसी असाधारण प्रकरण में जैसा कि उत्तराखण्ड़ राज्य में घटित दैवीय आपदा में, सम्यक जॉच के आधार पर किसी लोक सेवक की आख्या पर मृत्यु पंजीकरण किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। द्वितीय समिति की आख्या के अनुसार थाना जोशीमठ द्वारा अपने पंचायतनामा अज्ञात के सम्बन्ध में शव की शिनाख्त जय प्रसाद पुत्र स्व0 दर्वीदास ग्राम काण्डई घाट चमोली का होने का उल्लेख किया गया है दिनांक 19.02.2021 को एन0डी0आर0एफ0 टीम को सर्च के दौरान हेलंग में शव अलकनन्दा नदी में मिलना बताया गया है तथा पंचों की राय के अनुसार शव की पहचान नही हो पायी शव की पहचान फोटो द्वारा दाह संस्कार के बाद किया जाना बताया गया है जिसमें उसके भाई का डी0एन0ए0 पूर्व ही लिये जाने का उल्लेख किया गया है पंचायतनामा में मृतक अज्ञात पुरूष के रूप में उल्लेख कर जय प्रसाद पुत्र स्व0 दर्वीदास के रूप में उल्लेख होने पर दिनांक 23.03.2021 को रजिस्ट्रार जन्म एवं पंचायत हेलंग द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 02 / 2021 जारी किया गया है इस प्रकार उक्त जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त मानते हुये पुनः मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रकाशन कर शासनादेशनुसार प्रकिया अपनाते हुये प्रकाशन किया जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न हो इस सम्बन्ध में उनकी पत्नी द्वारा शपथ पत्र प्रेषित कर शासनादेशानुसार मृत्यु प्रामण पत्र जारी करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में मृत्यु पंजीकरण हेतु गठित द्वितीय समिति द्वारा श्रेणी–1 के सम्बन्ध में उनके परिजनों द्वारा दिये गये बयानों / नोटिराईज शपथ–पत्र व अन्य अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत की संस्तुति के आधार पर दिनॉक–07.02.2021 को रैणी / तपोवन में भीषण आपदा में लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश के क्रमशः 4 के उपबन्ध 6 एवं 7 के अनुसार प्रभावित क्षेत्र के अभिहित अधिकारी / उप जिलाधिकारी जोशीमठ निम्न लापता व्यक्तियों के मृत्यु की अस्थायी उपधारणा के आधार पर लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में दावों व आपत्तियों की प्राप्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है, निम्न लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को आपत्तियॉ प्रस्तुत कर सकता है, यदि निर्धारित समय के अन्तर्गत आपत्तियॉ प्राप्त नहीं होती है तो अभिहित अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगाः–

क्र0 सं0	मिसिंग सैल / अभिलेखीयकरण इकाई का क्रमांक	लापता व्यक्ति का नाम	लापता व्यक्ति का पता	लापता व्यक्ति का अन्तिम सम्पर्क स्थल
01	186	जय प्रसाद पुत्र दर्वीदास	निवासी ग्राम काण्डई, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र माणखी, तहसील घाट, जनपद चमोली (उत्तराखण्ड़)	ऋषिगंगा पॉवर प्रोजेक्ट, रैणी

अभिहित अधिकारी /
उप जिलाधिकारी,
जोशीमठ।

कार्यालय अभिहित अधिकारी / उप जिलाधिकारी जोशीमठ।

संख्या– 529 / एस0टी0–आपदा–मृ0प्र0प0 / 2020–2021 दिनांक जोशीमठ अप्रैल 2021

1–प्रबन्धक, दैनिक हिन्दूस्तान / राष्ट्रीय सहारा, को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना अपने दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में सूचना को प्रकाशित करने का कष्ट करे, तथा दो प्रतियों मे बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।

2–श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को सरकारी गजट एवं सरकारी बेबसाईट पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करें।

3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चमोली को इस आशय से उक्त सूचना को सरकारी गजट एवं सरकारी बेबसाईट पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करें।

अभिहित अधिकारी /
उप जिलाधिकारी,
जोशीमठ।

3